



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरु

(ए.डी.आर सेंटर, सिविल लाईन्स, कृषि भवन के पास)
(Phone: 01562-294594, E-mail Address : dlsal1churu@gmail.com)

क्रमांक :- जिविसेप्रा/मो.वाहन/

दिनांक :- 10.02.2025

कोटेशन के लिये अनुरोध क्रमांक 02 / 10.02.2025

राजस्थान सरकार विधि (ग्रुप-2) विभाग, की प्रासंगिक आज्ञा दिनांक 22.01.2025 के अनुसरण में वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 332500085 दिनांक 22.01.2025 व माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.70/रालसा/संस्था-संविदा सेवा/2025/26419-449 दिनांक 04.02.2025 एवं किराया वाहन वित्त (जी. एंड टी./एसपीएफसी) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018, 31.03.2021 एवं 05.04.2022 के पूर्ण प्रावधानों की पालना में इस कार्यालय में पदस्थापित सचिव को सम्पूर्ण जिले के क्षेत्राधिकार के लिये **समयावधि दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2026 तक**, वाहन किराये पर लेने हेतु अधिकृत वाहन मालिकों/फर्मों/एजेन्सियों से दरें आमंत्रित की जाती है। कोटेशन प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त/देखे जा सकते हैं। कोटेशन हेतु निर्धारित प्रपत्र की पूर्ति कर सलग्न शर्तों सहित दिनांक **24.02.2025** को प्रातः **10:30 बजे तक** इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्राप्त कोटेशन को उसी दिन दोपहर 12:00 बजे उपस्थित कोटेशनदाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। किसी भी कोटेशन को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार इस हेतु गठित उपापन समिति को होगा।


अध्यक्ष
लोक उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चूरु

क्रमांक : जिविसेप्रा/मो.वाहन/651-655

दिनांक : 10.02.2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आकष्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरु
3. लेखा शाखा, जिविसेप्रा, चूरु को SPP पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
4. सूचना बोर्ड, कार्यालय जिविसेप्रा, चूरु/जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरु
5. सिस्टम ऑफिसर, चूरु (जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरु की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)


अध्यक्ष
लोक उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चूरु



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरु

कोटेशन के लिये अनुरोध क्रमांक 02 दिनांक 10.02.2025 के लिये नियम व शर्तें

1. कोटेशन स्पष्ट व सुपाठ्य होने चाहिये, परिवर्तन व कांट छांट की स्थिति में पुनः स्पष्ट लिख कर हस्ताक्षर करें।
2. कोटेशन फर्म के लिफाफे पर "सचिव के लिये किराये के वाहन की व्यवस्था" अंकित करें।
3. कोटेशन द्वारा सलंगन किये गये समस्त विवरण/डॉक्यूमेन्ट को भली भांति जांच कर सलंगन करें।
4. किसी भी त्रुटिपूर्ण कोटेशन को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित है।
5. फर्म, वाहन मालिक, ट्रेवल एजेंसी के पास स्वयं के नाम का टैक्सी परमिट पंजीकृत वाहन के उपयोग हेतु उपलब्ध होना आवश्यक होगा। कोटेशन के समय प्रस्तुत किये गये वाहन संख्या तथा मॉडल ही किराये हेतु उपलब्ध करवाना होगा।
6. वाहन से संबंधित पंजीयन/रोड़ टैक्स/फिटनेस प्रमाण पत्र/प्रदुषण प्रमाण पत्र/ बीमा वाहन मालिक के नाम से होना चाहिये तथा वाहन सवारी व सामान सहित पूर्ण जोखिम का बीमाशुदा व रोड़ टैक्स का पूर्ण भुगतान किया हुआ होना चाहिये।
7. वाहन किराये का भुगतान वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 03.10.2023 तथा माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा एवं दरों के अधीन किया जायेगा।
8. कोटेशन की दरें समयावधि दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2026 तक या आगामी आदेश जो भी पहले हो तक होगी तथा दोनों पक्षों की सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
9. वाहन से संबंधित सभी प्रकार के खर्चे यथा पीओएल, वाहन चालक का मानदेय, वाहन की मरम्मत आदि समस्त व्यय कोटेशनदाता को वहन करना होगा। इस कार्यालय द्वारा वाहन किराये हेतु अनुमोदित दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई व्यय भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. टोल टैक्स का भुगतान प्रथमतः कोटेशनदाता द्वारा किया जायेगा, जिसका पुनर्भरण रसीद प्रस्तुत करने पर इस कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
11. अनुबन्ध की अवधि के दौरान वाहन में होने वाली किसी प्रकार की क्षति/चालान/दुर्घटना के लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
12. कोटेशनदाता द्वारा वाहन में आवश्यक समस्त मरम्मत कार्य तुरन्त करवाने होंगे। वाहन के मरम्मत व रख रखाव संबंधी कार्य इस कार्यालय में अवकाश के दिवस को ही करवाने होंगे। निविदादाता द्वारा किसी कार्य दिवस को मरम्मत करवाये जाने पर अन्य वाहन उपलब्ध करवाना होगा। अन्य वाहन उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में बाजार से किराये पर वाहन लेकर काम लिया जायेगा, जिसकी कटौती कोटेशनदाता के बिल से की जायेगी।
13. सफल कोटेशनदाता इस कार्य को किसी अन्य एजेंसी या फर्म को सबलेट नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने की स्थिति में प्ररफोमेन्स सिक्योरिटी की राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. कोटेशनदाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन चालक का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव तथा वैध ड्राइविंग लाईसेन्स होना चाहिये।
15. उपलब्ध करवाया गया वाहन छह वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा वाहन अच्छी कंडीशन में होना चाहिये।
16. कोटेशनदाता को किराये के वाहन की नियमित रूप से साफ सफाई करवानी होगी।
17. कोटेशनदाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन की लॉगबुक संधारित करनी होगी तथा लॉगबुक का सत्यापन प्रभारी अधिकारी से करवाना होगा।
18. वाहन किराये का भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा। निविदादाता को मासिक बिल मय लॉगबुक की प्रमाणित प्रति दो प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी तथा नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी।
19. किराये पर उपलब्ध करवाये गये वाहन पर इस कार्यालय के निर्देशानुसार फ्लेक्स/पेन्टेड स्लोगन प्रदर्शित अनिवार्य होगा तथा वाहन पर 'राजकीय अनुबन्ध पर' होने की प्लेट लगवानी होगी।
20. कोटेशनदाता द्वारा वाहन कार्यालय समय में उपलब्ध करवाना होगा तथा कार्यालय समय के अतिरिक्त भी आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध करवाना होगा।
21. सफल कोटेशनदाता को निर्धारित प्रारूप में पांच सौ रुपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करवाना होगा।
22. कोटेशनदाता का कार्य विभाग के मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
23. कोटेशन प्रस्तुत करने वाली फर्म/मालिक सतर्कता जांच से मुक्त होना चाहिये तथा किसी भी विभाग से ब्लेकलिस्टेड नहीं होना चाहिये।
24. कोटेशन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
25. किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायक्षेत्र चूरु जिला मुख्यालय होगा।

नोट :-

1. मैं/हमने उक्त कोटेशन की शर्तों व नियमों का भली भांति अध्ययन कर लिया है तथा उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करता हूँ/करते हैं।
2. यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है या प्रतिकूल पाई जाती है तो मेरी/हमारी परफोरमेंस सिक्योरिटी जब्त कर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाये।

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर





जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरु

(ए.डी.आर सेन्टर, सिविल लाईन्स, कृषि भवन के पास)

(Phone : 01562-294594, E-mail address : dlsa11churu@gmail.com)

कोटेशन प्राप्त करने की तिथि :

दिनांक : 24.02.2025 समय 10:30 ए.एम. तक

कोटेशन खोलने की तिथि :

दिनांक : 24.02.2025 समय 12:00 पी.एम.

कार्य का नाम : सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरु हेतु किराये के वाहन की व्यवस्था।

1. कोटेशन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म
का नाम व पता

.....

.....

.....

.....

2. दूरभाष नम्बर

.....

.....

कोटेशनदाता द्वारा भरा जावे

क्र.सं.	निम्नलिखित प्रमाण पत्रों/दस्तावेज की छाया प्रति आवश्यक रूप से सलंगन करें।	
1.	वाहन के मालिक का पैन कार्ड	
2.	वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र	
3.	वाहन चालक का लाईसेन्स	
4.	वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र व प्रदुषण जांच का प्रमाण पत्र	
5.	वाहन की बीमा का प्रमाण पत्र (वाहन चालक व सवारी सहित)	
6.	टेक्सी परमिट	
7.	टैक्स जमा होने का प्रमाण पत्र	

क्र. सं.	वाहन मालिक का नाम	पता	उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन का प्रकार	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन निर्माण वर्ष

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर

किराये की मासिक दरें

दर का आधार	दर (रूपये में)
अधिकतम 2000 किलोमीटर संचालन हेतु	अंको में शब्दों में

सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां सलंगन कर दी गई है।

नोट :-

- मैं/हमने उक्त कोटेशन की शर्तों व नियमों का भलीभांति अध्ययन कर लिया है तथा उपरोक्त वर्णित समस्त शर्तों व नियमों को स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं।
- मैं/हम उपरोक्त कार्य के लिये हमारी फर्म द्वारा दी गई दर (सभी करों एवं खर्चों सहित) पर कार्य करने को सहमत हूँ।

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर

